HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 5366/2019

1. Priya W/o Babloo, Aged About 27 Years, R/o Shanidev Kunj 0-1, Housing Baord, Jaisalmer.
2. Priya W/o Babloo, Aged About 27 Years,R/o Madhav Marg, Gandhi Colony, Jaisalmer.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Punjab National Bank, Branch Jaisalmer Through Branch Manager.

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 5400/2019

1. Priya W/o Babloo, Aged About 27 Years, resident of Shanidev Kunj 0-1 Housing Board, Jaisalmer.
2. Priya W/o Babloo, Aged About 27 Years, resident of Madhav Marg, Gandhi Colony, Jaisalmer.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Punjab National Bank, Branch Jaisalmer Through Branch Manager.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Acharya Mr. Kuldeep Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Sharwan Kumar, PP Mr. PK Jangid

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Judgment

Reserved on 04/07/2024

Pronounced on 09/07/2024

Reportable

01. याची की ओर से ये याचिकाएं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर के आक्षेपित आदेशों दिनांक 05.04.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

(Downloaded on 14/01/2025 at 04:10:26 PM)

02. संक्षेप में इन मामलों के तथ्य इस प्रकार से है कि अयाची संख्या 2 पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दो परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट याची के विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिनमें दिनांक 29.08.2018 व 29.09.2018 को प्रसंज्ञान आदेश पारित किये गये। जिनमें यह अंकित किया गया कि परिवादी की ओर से ये परिवाद दिनांक 10.07.2018 व 24.08.2018 को पेश किये गये थे, जो कार्यालय जांच होकर पेश हुए। जिन पर परिवाद दर्ज रजिस्टर हुए और पूर्व में परिवाद के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्रों के आधार पर बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर दिनांक 29.08.2018 व 29.09.2018 को आदेश पारित कर तलबी मुलजिम हेतु पत्रावलियों में पेशी नियत की गई। जिनमें दिनांक 05.04.2019 को याची की ओर से उपस्थिति दी गई और याची को जमानत पर रिहा किया गया और उसी रोज अधिवक्ता परिवादी की ओर से दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के प्रस्तुत कर अन्तरिम अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की गई, जो स्वीकार करते हुए मूल चेक की राशि का 20 प्रतिशत अन्तरिम अनुतोष के रूप में अदा किये जाने के आदेश दिये गये, जिन आदेशों से व्यथित होकर याची द्वारा ये याचिकाऐं प्रस्तुत की गई हैं।

03. याची की ओर से यह निवेदन किया गया कि धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के प्रावधान आज्ञापक नहीं है और इन मामलों में एन.आई. एक्ट (संशोधित अधिनियम 2018) के मुताबिक दिनांक 01.09.2018 को यह प्रावधान लागू हुआ है और इन मामलों में दिनांक 18.05.2018 व 13.07.2018 को चेक अनादरित हुए हैं व संशोधित अधिनियम की धारा 1(2) के मुताबिक यह प्रावधान गजट में नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक से लागू किया गया है। इन मामलों में धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध घटित होने के पश्चात संशोधित अधिनियम के लागू होने से धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

(Downloaded on 14/01/2025 at 04:10:26 PM)

04. बहस याचिकाओं पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन मामलों में धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट लागू होने से पूर्व घटित हो गया था और धारा 143(ए) एन. आई. एक्ट के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधिविरूद्ध होना बताते हुए आक्षेपित आदेशों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासों व अन्य दस्तावेजों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया।

06. अयाची संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया।

07. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने रिपोर्टेबल निर्णय G. J. Raja vs Tejraj Surana AIR 2019 SUPREME COURT 3817 में धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के प्रावधान के संबंध में विचार कर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि धारा 143(ए) एन. आई.एक्ट के प्रावधान प्रोस्पेक्टिव (Prospective) है और धारा 143(ए) एन.आई.एक्ट दिनांक 01.09.2018 से लागू हुआ है और धारा 143(ए) एन.आई.एक्ट केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जिनमें धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध इस धारा के लागू होने के पश्चात घटित हुआ हो। इस संबंध में पैरा संख्या 4 व 24 में जो उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है वह निम्नानुसार है :–

> "4. With effect from 01.09.2018, Section 143A was inserted in the Act by Amendment Act 20 of 2018.Said Section is to the following effect:-
>
> > "143A. Power to direct interim compensation. – (1) Notwithstanding any thing contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Court trying an offence under section 138 may order the drawer of the cheque to pay interim compensation to the complainant – ------------
>
> 24. In the ultimate analysis, we hold Section 143A to be prospective in operation and that the provisions

(Downloaded on 14/01/2025 at 04:10:26 PM)

> of said Section 143A can be applied or invoked only in cases where the offence under Section 138 of the Act was committed after the introduction of said Section 143A in the statute book. Consequently, the orders passed by the Trial Court as well as the High Court are required to be set aside. The money deposited by the Appellant, pursuant to the interim direction passed by this Court,shall be returned to the Appellant along with interest accrued thereon within two weeks from the date of this order.”

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

08. उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दोनों मामलों पर विचार किया जा रहा है। प्रकरण संख्या 5366/2019 के मामले में फौजदारी प्रकरण संख्या 1282/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 को आक्षेपित किया गया है। इस मामले में जो प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 29.09.2018 है उस आदेश में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि परिवाद दिनांक 24.08.2018 को पेश किया गया है जिसमें चेक संख्या 103812 दिनांक 13.07.2018 का 6,29,000/– रूपये का है और इससे संबंधित कागजात पेश किये गये हैं जिसके मुताबिक परिवाद दिनांक 24.08.2018 को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट का पेश किया गया, जिसमें चेक दिनांक 13.07.2018 को बिना भुगतान के अनादरित होने का उल्लेख है। यानी चेक दिनांक 13.07.2018 को अनादरित हुआ तत्पश्चात दिनांक 21.07.2018 को नोटिस भेजे जाने और निर्धारित अवधि में रकम का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया, जो कि दिनांक 24.08.2018 को पेश किया गया है। जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान आदेश में भी किया गया है, जो धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के लागू होने की दिनांक 01.09.2018 के पूर्व की कार्यवाही है और धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध दिनांक 01.09.2018 के पूर्व घटित होना स्पष्ट है।

09. इसी प्रकार से याचिका संख्या 5400/2019 के मामले में आक्षेपित आदेश दिनांक 05.04.2019 फौजदारी प्रकरण संख्या 1171/2018 से संबंधित है जिसमें प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 29.08.2018 का है जिस आदेश में दिनांक 10.07.2018 को परिवाद पेश किये जाने का उल्लेख है, जिसमें चेक संख्या 103801 दिनांक 18.05.2018 का 3,70,000/– रूपये का होना स्पष्ट है और इस प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत इस्तगासा की

(Downloaded on 14/01/2025 at 04:10:26 PM)

प्रति में स्पष्ट रूप से चेक दिनांक 18.05.2018 को अनादरित होना व दिनांक 05.06.2018 को नोटिस भेजना, बावजूद नोटिस के रकम का भुगतान नहीं होने पर दिनांक 03.07.2018 को इस्तगासा हस्ताक्षरित कर दिनांक 10.07.2018 को इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में भी धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट जो दिनांक 01.09.2018 को लागू हुई उससे पूर्व अपराध घटित होना स्पष्ट है।

10. ऐसी अवस्था में इन दोनों मामलों में धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के लागू होने की दिनांक 01.09.2018 से पूर्व अपराध घटित होने से माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में वर्णित जी.जे. राजा वाले न्यायिक दृष्टांत में पैरा संख्या 24 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के मद्देनजर इन मामलों में धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते, ऐसी अवस्था में इन दोनों मामलों में जो आक्षेपित आदेश दिनांक 05.04.2019 के द्वारा धारा 143(ए) एन.आई. एक्ट के तहत 20 प्रतिशत चेक की राशि अदा करने का जो आदेश दिया गया है वह विधिसम्मत नहीं होने से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का प्रयोग करते हुए निरस्त किये जाने योग्य है।

11. अतः दोनों याचिकाएं स्वीकार की जाकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1282/2018 व 1171/2018 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.04.2019 अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

12. तदनुसार, इन प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना–पत्र भी निस्तारित किये जाते हैं।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

6-7--S N LOHRA/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

(Downloaded on 14/01/2025 at 04:10:26 PM)